समाहरणालय, पूर्णिया (बिहार)
(जिला बाल संरक्षण इकाई)

(समाहरणालय कैम्पस, पूर्णिया, दूरभाष सं0–06454–244530)
E-mail ID:-adcpurnea@gmail.com

बिहार सरकार

सुरक्षित बचपन–विकसित समाज

पत्रांकः–758 / 2026 / जि0बा0सं0इ0,पूर्णिया

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई, पूर्णिया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
बिहार, पटना।

पूर्णिया, दिनांक 06/07/2026

विषयः– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों (Support Persons) की सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना का पत्रांक–749, दिनांक–24.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों (Support Persons) की सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि सहायक व्यक्तियों (Support Persons) की सूचीबद्धता (Empanelment) के लिए विज्ञापन प्रकाशन हेतु सूचना की एक प्रति का विज्ञापन जिला स्तर के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

सादर सूचनाथ समर्पित।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

06/07/26

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई, पूर्णिया।

ज्ञापांकः–758 / जि0बा0सं0ई0, पूर्णिया दिनांक– 06/07/2026

प्रतिलिपिः– जिला सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाईट (NIC) पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– नियोजन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

06/07/26

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई, पूर्णिया।

समाहरणालय, पूर्णिया (बिहार)
(जिला बाल संरक्षण इकाई)

विज्ञापन संख्या–01/2026

सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना के मार्गदर्शिका ज्ञापांक–748, दिनांक–24.04.2026 एवं पत्रांक–749, दिनांक–24.04.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत पॉक्सो पीड़ितों के सहयोग हेतु सहायक व्यक्तियों का अस्थायी पदों पर सूचीबद्ध करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

Name of Post	Category wise breakup	Minimum educational Qualification	Work Experience	Age limit as on 01.07.2026	Honorarium Per Case
सहायक व्यक्ति (SUPPORT PERSON)	**Total Requirement- 20** **UR- 7 (Male- 4 Female-3)** **BC/EBC-4 (Male- 2 Female-2)** **MINORITY-4 (Male- 2 Female-2)** **SC/ST-5 (Male- 3 Female-2)**	सामाजिक कार्य (MSW)/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर **या** बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ–साथ तीन वर्ष का कार्य अनुभव।	बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान/परामर्शदाता/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/पॉक्सो न्यायालय अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।	न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष	9000/– रूपये प्रति वाद (पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित जो विहित प्रकिया के माध्यम से देय होगा)

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. पूर्णिया जिले का निवासी होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरूद्ध भारत में कही भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (Moral Turpitude) दोषी नहीं हों। इस आशय का उन्हें शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।
4. बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
5. उपरोक्त पद पॉक्सो मामले पर आधारित अस्थायी (दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा) पद होंगें।
6. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक–07.08.2026 के शाम 5:00 बजे तक सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, समाहरणालय परिसर, पूर्णिया, पिन–854301 के पते पर स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से भेज सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. विज्ञापन की विवरणी एवं विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जिला प्रशासन, पूर्णिया के बेवसाइट https://purnea.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। मेघा सूची, साक्षात्कार से संबंधित सूचना एवं अनुशंसित व्यक्तियों की सूची इत्यादि सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रकाशन समय–समय पर उक्त वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

8. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।

9. **चयन प्रक्रियाः**–सहायक व्यक्तियों के पैनल निमार्ण हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत् है–

मूल्याकनः–स्नातक के लिए 50 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 20 अंक एवं **P.hd.** के लिए 10 अंक कुल–80 अंक साक्षात्कार के लिए अधिकतम–20 अंक

I. शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

10. **सूचीबद्धता की अवधि :–** सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति का कार्य अवधि अधिकतम 02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (दोनो में से जो पहले हो) के लिए होगा।

11. इस पैनल के आधार पर सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों द्वारा सरकरी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही अगली सूचीबद्धता के लिए पुनः नये सिरे से प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा।

12. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, पूर्णिया के पास सुरक्षित रहेगा।

06/07/26

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई, पूर्णिया।